रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-01072026-273976
CG-MH-E-01072026-273976

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 419] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 25, 2026/आषाढ 4, 1948
No. 419] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 25, 2026/ASHADHA 4, 1948

भारतीय रिज़र्व बैंक

(केंद्रीय कार्यालय)

(कॉर्पोरेट कार्य नीति और बजट विभाग)

अधिसूचना

मुंबई, 17 जून, 2026

एफ.सं. कॉकाबवि/निधि/एस131/05.03.001/2026-27.—भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम,1934(1934का 2) की धारा 58 की उपधारा (2) के खंड (जे) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय बोर्ड, केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति से एतद्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक कर्मचारी भविष्य निधि विनियमावली,1935 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियमों का प्रावधान करता है, अर्थात्: -

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ -(1) इन विनियमों को भारतीय रिज़र्व बैंक कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) विनियमावली, 2026 कहा जाएगा।

(2) सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से वे प्रभावी होंगे।

2. भारतीय रिज़र्व बैंक कर्मचारी भविष्य निधि विनियमावली, 1935 (इसके बाद कथित विनियमावली के रूप में संदर्भित) में, विनियमन 1 के बाद निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा, अर्थात्: -

"1.ए परिभाषाएं –(1) इन विनियमनों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(ए)"अधिनियम"का अर्थ भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2)से है;

(बी) "सहयोगी संस्था" का अर्थ है,-

(i) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981 (1981 का 61)की धारा 3 के अधीन स्थापित "राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक";

(ii) राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987(1987 का 53)की धारा 3 के अधीन स्थापित "राष्ट्रीय आवास बैंक";

(iii) "बैंकिंग प्रौद्योगिकी में विकास और अनुसंधान संस्थान" जोकि आंध्र प्रदेश सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 2001के अंतर्गत पंजीकृत मानी जाने वाली सोसायटी और 06 मार्च 1996 को सोसायटी रजिस्ट्रार कार्यालय, हैदराबाद (2001 का 35) द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र धारक है;

(iv) निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961(1961 का 47) की धारा 3 के अधीन स्थापित "निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम";

(सी)"बैंक" का अर्थ है भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 3 के तहत गठित भारतीय रिज़र्व बैंक;

(डी) "योगदान" का अर्थ है बैंक द्वारा निधि में योगदान की गई राशि, जो अभिदाता की अनिवार्य अभिदानके बराबर होगी;

(ई)"आश्रित"का अर्थ है, भविष्य निधि अधिनियम,1925(1925 का 19) की धारा 2 के खंड (सी) में परिभाषित आश्रित;

(एफ)"निधि" का अर्थ इन विनियमों के विनियमन1 के तहत बनाई गई भारतीय रिज़र्व बैंक कर्मचारी भविष्य निधि है;

(जी) "अभिदान" का अर्थ है अभिदाता द्वारा निधि में अंतरित 'वेतन'का प्रतिशत;

(एच) "उत्तरोत्तर नामांकन" का अर्थ उत्तरोत्तर/वैकल्पिक नामांकन से है;

(2) इन विनियमनों में प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्तियाँ जो यहां परिभाषित नहीं हैं, लेकिन अधिनियम में परिभाषित हैं, उनके अर्थ क्रमशः वही होंगे जो उन्हें अधिनियम में दिए गए हैं।"।

3. कथित विनियमावली में, विनियमन 5सी में, "स्पष्टीकरण" को हटा दिया जाएगा।

4. कथित विनियमावली में, विनियमन 11 में, उप विनियमन (i)में, खण्ड (बी) केलिए,निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा,अर्थात्:-

" (बी) विशेष कारणों को छोड़कर,अग्रिम,

(i) निधि में अभिदाता के अपने अंशदान की आधी राशि और उस पर ब्याज से अधिक अथवा

(ii) पिछले अग्रिम की पूर्ण चुकौती तक नहीं दिया जाएगा।"।

5. कथित विनियमावली में, विनियमन 11, उप विनियमन(2) में, खण्ड (ए) के लिए,निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(ए)बैंक के निर्देश अनुसार समान मासिक किश्तों में अभिदाता से अग्रिम राशि वसूल की जाएगी; लेकिन किश्तों की संख्या 12 से कम या 36 से अधिक नहीं होगी। अभिदाता अपने विकल्प पर एक महीने में एक से अधिक किस्त चुका सकता है। प्रत्येक किस्त पूरे रुपयों में होगी, ऐसी किस्तों के निर्धारण को स्वीकार करने के लिए, यदि आवश्यक हो तो अग्रिम की राशि बढ़ाई या घटाई जाएगी।"।

6. कथित विनियमावली में, विनियमन 11ए, उप विनियमन(1) के लिए, "स्टांप शुल्क, पंजीकरण प्रभारों" के शब्दों के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"स्टांप शुल्क, पंजीकरण प्रभार और लागू करों सहित।"।

7. कथित विनियमावली में, विनियमन 14 में उप विनियमन(1) केलिए, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

" (1) अभिदाता के खाते में जमा कुल राशि उसकी सेवा समाप्ति अथवा मृत्यु पर देय हो जाएगी;

बशर्ते कि सेवानिवृत्ति की तैयारी करने वाले अवकाश पर अभिदाता अपने विकल्प पर अपने निधि खाते में शेष से वह राशि निकाल सकता है जो कि उसके अपने अंशदान और उस पर ब्याज से अधिक नहीं हो;

बशर्ते कि अभिदाता, जिसमें कोई भी ऐसा व्यक्ति शामिल है जिसे विनियमन 5 केखंड (iii) केउपखंड (बी) के तहत निधि की सदस्यता लेने की अनुमति है, 10 वर्ष की सेवा पूरी होने के बाद किसी भी समय,या उसकी सेवानिवृत्ति की तारीख या कार्यालय के अपने निर्दिष्ट कार्यकाल की समाप्ति की तारीख से ठीक पहले के 10 वर्षों के दौरान, जैसा भी मामला हो, बैंक के निर्णय द्वारा , विनियमन 14 के उप-विनियमन (2) में निहित किसी भी उद्देश्य के लिए और उप-विनियमन (3), (4) और (5) में निहित प्रावधानों के अधीन रहते हुए, निधि में अपने खाते में शेष राशि से विनियमन 14 ए में निर्दिष्ट राशि तक आहरण कर सकता है।

बशर्ते कि,यदि बैंक के केंद्रीय बोर्ड की समिति अथवा उक्त समिति द्वारा इस संबंध में समिति की ओर से निर्दिष्ट बैंक का कोई अधिकारी, निदेश के अनुसार, निम्न की उसमें से कटौती कर, बैंक को भुगतान कर सकती है-

(ए)बैंक द्वारा उस के खाते में योगदान की गई राशि और उस पर जमा ब्याज तक की कुल राशि की सीमा तक बैंक के प्रति अभिदाता की देयता के अंतर्गत देय राशि

अथवा

(बी) जहां अभिदाता को कदाचार या घोर लापरवाही के कारण उसके नियोजन से बर्खास्त कर दिया गया है या जहां अभिदाता ने अस्थायी सेवा सहित अपनी निरंतर सेवा शुरू होने के पांच वर्ष के भीतर बैंक के अधीन अपने नियोजन से इस्तीफा दे दिया है, ऐसे अंशदान की राशि का पूरा या कोई हिस्सा और उसके संबंध में जमा ब्याज के साथ

स्पष्टीकरण: विनियम 14 के उप-विनियमन (2) केखंड (ए) और (बी) में निर्दिष्ट आवास और गैर-आवास के प्रयोजनों के लिए आहरण हेतु भूतपूर्व सैनिक अभिदाताओं के मामले में सेवा की अवधि की गणना करने केउद्देश्य के लिए, बैंक में शामिल होने से पहले रक्षाबलों में उनके द्वारा प्रदान की गई सेवा की अवधि को भी ध्यान में रखा जाएगा।"।

8. कथित विनियमावली में, विनियमन 14 में उप विनियमन(2) में, खण्ड (बी) में, उप खण्ड (v) में "स्टांप शुल्क, पंजीकरण प्रभारों का भुगतान" के शब्दों के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"स्टांप शुल्क, पंजीकरण प्रभार और लागू करों का भुगतान।"

9. कथित विनियमावली में, विनियमन 14 में,उप-विनियमन (5) में: -

(i) इन विनियमों में,"इन विनियमों के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए,निधि से आहरण" शब्दों के लिए "इन विनियमों के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, अन्य घर या आवासीय इकाई या भूखंड के लिए निधि से आहरण" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ii) नियम के बाद, निम्नलिखित प्रावधानों को जोड़ा जाएगा, अर्थात्: –

"बशर्तेकि, यदि किसी अभिदाता ने इन विनियमों के तहत आहरण की सहायता से उसके द्वारा अधिग्रहित घर या आवास इकाई या भूखंड में, हस्तांतरित, सुपुर्द या लाभ प्राप्त नहीं किया है, औरउसके द्वारा निकाली गई राशि वापस नहीं की है, तो वह निम्नलिखित शर्तों के अधीन निधि से किसी अन्य घर या आवासीय इकाई या भूखंड के लिए नए आहरण के लिए पात्र होगा, अर्थात्:–

(ए) इन विनियमों के तहत घर/आवासीय इकाई/भूखंड के अधिग्रहण के लिए पूर्व की आहरण की तारीख से पंद्रह वर्ष बीत चुके हैं या अभिदाता की सेवानिवृत्ति की तारीख तक पांच वर्ष शेष हैं; और

(बी) नई आहरण की सीमा अभिदाता के अंशदान (बैंक के अंशदान को छोड़कर, यदि कोई हो) और उस पर ब्याज तक सीमित है।

बशर्ते कि किसी भी स्थिति में, कोई अभिदाता दो से अधिक मकानों या आवासीय इकाइयों या भूखंडों के लिए भविष्य निधि से आहरण के लिए पात्र नहीं होगा।"

10. कथित विनियमावली में, विनियमन 14एमें, उप-विनियमन (1) में-

(i) शब्द, "अथवा छह महीने का वेतन (विनियमन 6 की व्याख्या में परिभाषित 'वेतन'), जो भी कम हो", हटा दिया जाएगा;

(ii) "मुख्य महाप्रबंधक, डीईबीसी" शब्दों के लिए, "निधि के परिचालन के प्रभारी अधिकारी" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

11.कथित विनियमावली में, विनियमन 14 सी में, उप-विनियमन (2) में-

(i) खंड (i) में, उप-खंड (ए) में, शब्द "छह महीने तक के वेतन लेकिन" हटा दिए जाएंगे।

(ii) खंड (ii) में,-

(ए) "मुख्य महाप्रबंधक, डीईबीसी" शब्दों के लिए, "निधि के परिचालन के प्रभारी अधिकारी" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(बी) उप खंड (ii) को हटा दिया जाएगा;

12. कथित विनियमावली में, विनियमन 15 में,उप-विनियमन(v) में, कोष्ठक, अक्षरों और आंकड़ों "(ए1, बी1)" के लिए, कोष्ठक, अक्षर और आंकड़े "(ए1, बी1, बी4)" प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

13. कथित विनियमावली में, विनियमन 15ए के बाद, निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा, अर्थात्: -

"15बी उत्तरोत्तर नामांकन:

फॉर्म ए या फॉर्म बी या फॉर्म बी2 में नामांकन के विकल्प के रूप में, अभिदाता इन विनियमों के साथ अनुबंधित फॉर्म बी3 में, अपने परिवार अथवा व्यक्तियों अथवा आश्रितों, अधिकतम तीनको नामित कर सकता है, जिन्हें निधि में उसके लिए जमा राशि उत्तरोत्तर रूप में देय होगी, जैसा कि विनियमन 16 के खंड (ii) के प्रावधानों में उल्लिखित अनुसार अभिदाता की मृत्यु की स्थिति में निर्दिष्ट है।"।

14. कथित विनियमावली में, विनियमन 16 में, उप-विनियमन (ii) के बाद और नोट से पहले, निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा, अर्थात् :-

बशर्ते, यदि अभिदाता द्वारा विनियमन 15बी के अनुसार अभिदाता की मृत्यु पर नामांकन किया जाता है, तो निधि में उसकी जमा राशि पहले नामिति को देय होगी और यदि निपटान के समय पहला नामिति जीवित नहीं है, तो राशि दूसरे नामिति को देय होगी और यदि पहले और दूसरे दोनों नामिति जीवित नहीं हैं, तो राशि तीसरे नामिति को देय होगी;"।

15. कथित विनियमावली में, भविष्य निधि फॉर्म बी 2 के बाद, निम्नलिखित फॉर्म जोड़े जाएंगे, अर्थात्: -

भविष्य निधि फॉर्म बी 3

फॉर्म बी3

(उत्तरोत्तर नामांकन का फॉर्म)

नाम (पूरा नाम):____

भविष्य निधि सूचकांक संख्या:_________

स्थान:____________

दिनांक:____________

<u>भारतीय रिज़र्व बैंक कर्मचारी भविष्य निधि के एडिमिनिस्ट्रेटर</u>

प्रिय महोदय,

(1) मैं.................. (भविष्य निधि अभिदाता का नाम), एतद् द्वारा अपने .... (संबंध का उल्लेख करें, यदि कोई हो).....................................(नाम) आयु..........वर्ष और जिन का पता .... (प्रथम नामिति का पता),को उस व्यक्ति के रूप में नामित करता हूँ जिसको मेरी मृत्यु की स्थिति में मेरे भारतीय रिज़र्व बैंक के कर्मचारी भविष्य निधिखाते में उपलब्ध शेष राशि का भुगतान किया जाएगा।

(2) भारतीय रिज़र्व बैंक कर्मचारी भविष्य निधि से कोई लाभ प्राप्त किए बिना मेरी मृत्यु से पहले या मेरी मृत्यु के बाद...(प्रथम नामिति का नाम) की मृत्यु होने की स्थिति में, मैं एतद्वारा अपने ....(संबंध का उल्लेख, यदि कोई हो) .... (द्वितीय उत्तरोत्तर नामिति का

नाम) आयु...........वर्ष जिस का पता ....है को उस व्यक्ति के रूप में नामित करता हूँ जिसको मेरे भारतीय रिज़र्व बैंक कर्मचारी भविष्य निधि खाते में उपलब्ध शेष राशि का भुगतान किया जाएगा।

(3) .... (प्रथम नामिति का नाम) और...................... (द्वितीय नामिति का नाम), की मृत्यु की स्थिति में,भारतीय रिज़र्व बैंक कर्मचारी भविष्य निधि से कोई लाभ प्राप्त किए बिना, मेरी मृत्यु से पहले अथवा मेरी मृत्यु के बाद,, मैं एतद्वारा अपने .... (संबंध का उल्लेख करें, यदि कोई हो) .... (तृतीय उत्तरोत्तर नामिति का नाम) आयु......... वर्ष और जिसका पता .... है को उस व्यक्ति के रूप में नामित करता हूँ जिसको मेरे भारतीय रिज़र्व बैंक कर्मचारी भविष्य निधिखाते में उपलब्ध शेष राशि का भुगतान किया जाएगा।

यह नामांकन मेरे भारतीय रिज़र्व बैंक कर्मचारी भविष्य निधि खाते के तहत पहले किए गए नामांकन के एवज में है।

साक्षी
(1)हस्ताक्षर....................................
नाम ....
पदनाम...
पता..
....

(2) हस्ताक्षर....................................
नाम ....
पदनाम...
पता..
....

भवदीय

अभिदाता के हस्ताक्षर
नाम........................

अभिदाता के हस्ताक्षर मेरे द्वारा सत्यापित किए गए

विभाग प्रमुख / कार्यालय प्रभारी

भविष्य निधि फॉर्म बी4

फॉर्म बी4

(उत्तरोत्तर नामांकन रद्द करने के लिए आकस्मिक सूचना)

भारतीय रिज़र्व बैंक कर्मचारी भविष्य निधि विनियमावली के विनियमन 15 बी के तहत मेरे उस अधिकार पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जिसके अनुसार मैं जब भी मैं उचित समझूं, मेरे द्वारा किए गए नामांकन को निरस्त कर सकता हूं, मैं एतद् द्वारा नोटिस देता हूं कि यदि ऐसा होता है कि इस नामांकन के तहत नामित व्यक्ति/व्यक्तियों में से कोई भी मेरी मृत्यु से पहले मृत हो जाता है तो, जहां तक यह ऐसे व्यक्ति/ऐसे किसी भी व्यक्तियों को प्रदत्त अधिकारों से संबंधित है, उक्त नामांकन को तत्काल प्रभाव से निरस्त माना जाएगा।

दिनांक...

इस ....दिन....................................

....

स्थान..................................

अभिदाता के हस्ताक्षर

नाम..

पीएफ सूचकांक सं....................................

साक्षी

(1) हस्ताक्षर..

नाम..

पदनाम ....

पता..

(2) हस्ताक्षर..

नाम ....

पदनाम ....

पता..

अभिदाता का हस्ताक्षर मेरे द्वारा सत्यापित किया गया

विभाग प्रमुख / कार्यालय प्रभारी

सुमन नाथ, मुख्य महाप्रबंधक

[विज्ञापन-III/4/असा./188/2026-27]

RESERVE BANK OF INDIA

(Central Office)

(CORPORATE STRATEGY AND BUDGET DEPARTMENT)

NOTIFICATION

Mumbai, the 17th June, 2026

F.No. CSBD/Funds/S131/05.03.001/2026-27.—In exercise of the powers conferred by clause (j) of sub-section (2) of section 58 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Central Board, with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations to amend the Reserve Bank of India Employees' Provident Fund Regulations, 1935, namely :–

1. Short title and commencement, – (1) These regulations may be called the Reserve Bank of India Employees' Provident Fund (Amendment) Regulations, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Reserve Bank of India Employee's Provident Fund Regulations, 1935 (hereinafter referred to as the said regulations), after regulation 1, the following shall be inserted, namely :–

"1.A Definitions –(1)In these regulations, unless the context otherwise requires, -

(a) "Act" means the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934);

(b) "Associate Institution" means, –

(i) "National Bank for Agriculture and Rural Development" established under section 3 of the National Bank for Agriculture and Rural Development Act, 1981 (61 of 1981);

(ii) "National Housing Bank" established under section 3 of the National Housing Bank Act, 1987 (53 of 1987);

(iii) "Institute for Development and Research in Banking Technology",being a society deemed to be registered under the Andhra Pradesh Societies Registration Act, 2001 and holding a certificate of registration dated March 6, 1996, issued by the Office of Registrar of Societies, Hyderabad (35 of 2001);

(iv) "Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation" established under section 3 of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961 (47 of 1961);

(c) "Bank" means the Reserve Bank of India constituted under section 3 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934);

(d) "contribution" means the amount contributed by the Bank in the Fund, which shall be equivalent to the mandatory subscription of the subscriber;

(e) "dependant" means any person who is a dependant as defined in clause (c) of section 2 of the Provident Funds Act, 1925 (19 of 1925);

(f) "Fund" means the Reserve Bank of India Employees' Provident Fund constituted under regulation 1 of these Regulations;

(g) "subscription" means a percentage of 'pay' transferred by the subscriber to the Fund;

(h) "successive nomination" means successive or alternate nomination;

(2) Words and expressions used in these regulations and not defined herein, but defined in the Act, shall have the same meanings respectively assigned to them in the Act.".

3. In the said regulations, in regulation 5C, the Explanation shall be omitted.

4. In the said regulations, in regulation 11, in sub-regulation (i), for clause (b), thefollowing shall be substituted, namely:–

"(b) An advance shall not, except for special reasons,

(i) exceed half the amount of the subscriber's own subscriptions to the Fund and interest thereon or

(ii) be granted until the final repayment of the previous advance.".

5. In the said regulations, in regulation 11, in sub-regulation (2), for clause (a), the following shall be substituted, namely:–

"(a) An advance shall be recovered from the subscriber in such number of equal monthly instalments as the Bank may direct but such number shall not be less than 12 or more than 36. A subscriber may, at his option, repay more than one instalment in one month. Each instalment shall be a number of whole rupees, the amount of the advance being raised or reduced, if necessary, to admit of the fixation of such instalments.".

6. In the said regulations, in regulation 11A, in sub-regulation (1), for the words ‘including stamp duty and registration charges’, the following shall be substituted, namely :–

“including stamp duty, registration charges and applicable taxes.”.

7. In the said regulations, in regulation 14, for sub-regulation (1) the following shall be substituted, namely :–

“(1) The sum standing to the credit of a subscriber shall become payable on the termination of his service or on his death;

Provided that a subscriber on leave preparatory to retirement may at his option withdraw from the sums standing to his credit in the Fund an amount not exceeding his own subscriptions and the interest thereon;

Provided also that a subscriber, including any person permitted to subscribe to the Fund under sub-clause (b) of clause (iii) of regulation 5 may, at any time after completion of 10 years’ service or during the 10 years immediately preceding the date of his retirement or the date of expiry of his specified tenure of office, as the case may be, be permitted by the Bank at their discretion, to withdraw, for any of the purposes contained in sub-regulation (2) of regulation 14 and subject to the provisions contained in sub-regulations (3), (4) and (5), from the sums standing to his credit in the Fund up to such amount as is specified in regulation 14A.

Provided further that, if the Committee of the Central Board of the Bank or any officer of the Bank as the said Committee may specify in this behalf, so directs, be deducted therefrom and paid to the Bank –

(a) any amount due under a liability incurred by the subscriber to the Bank up to the total amount contributed by the Bank to his account, including the interest credited in respect thereof.

or

(b) where the subscriber has been dismissed from his employment on account of misconduct or gross negligence or where the subscriber has resigned his employment under the Bank within five years of the commencement of his continuous service including temporary service, the whole or any part of the amount of such contributions together with the interest credited in respect thereof.

Explanation: For the purpose of calculating the period of service in the case of ex-servicemen subscribers for withdrawal for purposes of housing and non-housing as specified in clauses (a) and (b) of sub-regulation (2) of regulation 14, the period of service rendered by them in the Defence Forces prior to their joining the Bank shall also be taken into consideration.”.

8. In the said regulations,in regulation 14, in sub-regulation (2), in clause (b), in sub-clause (v), for the words “payment of stamp duty and registration charges”, the following shall be substituted, namely :–

“payment of stamp duty, registration charges and applicable taxes.”

9. In the said regulations, in regulation 14, in sub-regulation (5):–

(i) in the proviso, for the words “withdrawal from the Fund, subject to the other provisions of these regulations”, the words “withdrawal from the Fund for another house or dwelling unit or plot, subject to the other provisions of these regulations” shall be substituted;

(ii) after the proviso, the following proviso shall be inserted, namely :–

“Provided further that, if a subscriber has not transferred, assigned, or created interest in the house or dwelling unit or plot acquired by him / her with the help of withdrawal under these regulations, and has not refunded the amount so withdrawn by him / her, he / she shall be eligible

for a fresh withdrawal for another house or dwelling unit or plot from the Fund subject to the following conditions, namely :–

(a) Fifteen years have elapsed from the date of the earlier withdrawal for acquiring the house / dwelling unit / plot under these regulations or five years are remaining to the date of superannuation of the subscriber; and

(b) the limit for the fresh withdrawal is restricted to the subscriber's own subscription (excluding the Bank's contribution, if any) and interest thereon.

Provided further that, in no case, shall a subscriber be eligible for withdrawal from the Fund for more than two houses or dwelling units or plots."

10. In the said regulations, in regulation 14A, in sub-regulation (1) –

(i) the words, "or six months' pay ('pay' as defined in Explanation to Regulation 6), whichever is less", shall be omitted;

(ii) for the words "The Chief General Manager, DEBC", the words "The Officer-in-Charge of the operations of the Fund" shall be substituted;

11. In the said regulations, in regulation 14C, in sub-regulation (2)–

(i) in clause (i), in sub-clause (a), the words "upto six months' pay but" shall be omitted.

(ii) in clause (ii),-

(a) for the words "Chief General Manager, DEBC", the words "Officer-in-Charge of the operations of the Fund" shall be substituted;

(b)subclause (ii) shall be omitted;

12. In the said regulations, in regulation 15, in sub-regulation (v), for the brackets, letters and figures "(A1, B1)", the brackets, letters and figures "(A1, B1, B4)" shall be substituted.

13. In the said regulations, after regulation 15A, the following shall be inserted, namely:-

"15B Successive Nomination:

Alternate to the nominations in Form A or Form BorFormB2, a subscriber may nominate in Form B3 annexed to these regulations, a maximum of up to three members of his / her family or persons or dependants to whom the amount standing to his credit in the Fund shall be payable in a successive manner, as enumerated in the proviso to clause (ii) of regulation 16, in the event of the death of the subscriber.".

14. In the said regulations, in regulation 16, after the sub-regulation (ii) and before the "Note", the following provisoshall be inserted, namely :–

"Provided, if a nomination is made by the subscriber in accordance with regulation 15B, on the death of the subscriber, the amount standing to his / her credit in the Fund shall become payable to the first nominee and in case the first nominee is not alive at the time of settlement, the amount shall become payable to the second nominee and if both the first and second nominees are not alive, then the amount shall become payable to the third nominee;".

15. In the said regulations, after Provident Fund Form B2, the following forms shall be inserted, namely :–

Provident Fund Form B3

FORM B3

(FORM OF SUCCESSIVE NOMINATION)

Name (in full):____
Provident FundIndex No.:________
(Block letters to be used)

Place:_____________

Date:______________

The Administrators of the Reserve Bank of India Employees' Provident Fund

Dear Sir,

(1) I………………(name of Provident Fund Subscriber), hereby nominate …………… (name) being my……………. (mention relationship, if any)…………aged…. years and whose address is………………………………………………. (address of 1st nominee) as the person to whom the balance available in my Reserve Bank of India Employees' Provident Fund Account shall be paid in the event of my death.

(2) In the event of death of…………………(name of 1st nominee) before my death or after my death without receiving any benefits from Reserve Bank of India Employees' Provident Fund, I hereby nominate ………………..(name of 2nd successive nominee) being my ………………(mention relationship, if any) aged…………years and whose address is ……………………………………………………………… as the person to whom all the balance available in my Reserve Bank of India Employees' Provident Fund account shall be paid.

(3) In the event of death of …………………(name of 1st Nominee) and…………………..(name of 2nd Nominee) before my death, or after my death without receiving any benefits from Reserve Bank of India Employees' Provident Fund, I hereby nominate……………..(name of 3rd Successive nominee) being my………………(mention relationship, if any) aged…......years and whose address is ………………………………………………………………… as the person to whom all the balance available in my Reserve Bank of India Employees' Provident Fund account shall be paid.

This nomination is in lieu of earlier nomination effected under my Reserve Bank of India Employees' Provident Fund Account.

Witness
(1) Signature__________________________
Name:_______________________________
Designation:__________________________
Address:_____________________________

(2) Signature__________________________
Name:_______________________________
Designation:__________________________
Address:_____________________________

Yours faithfully,

Signature of subscriber
Name ______________
Subscriber's signature verified by me

Head of the Department / Officer-in-Charge

Provident Fund Form B4

Form B4

(CONTINGENT NOTICE FOR CANCELLATION OF SUCCESSIVE NOMINATION)

Without prejudice to my right under regulation 15B of the Reserve Bank of India Employees' Provident Fund Regulations to cancel the nomination made by me whenever I think fit, I hereby give notice that in the event of the person/ any of the persons nominated thereunder pre-deceasing me, the said nomination shall forthwith stand cancelled in so far as it relates to the rights conferred upon such person/ any of such persons.

Dated………………………………
this………………………………………………….……day
of…………………………………………………………………………………….
At…………………………….

Signature of subscriber: ……………...
Name : …………………………………...
PF Index No…………………………….

Witness
(1) Signature___________________________
Name:________________________________
Designation:___________________________
Address:______________________________

(2) Signature___________________________
Name:________________________________
Designation:___________________________
Address:______________________________

Subscriber's signature verified by me

Head of the Department / Officer-in-Charge

SUMAN NATH, Chief General Manager

[ADVT.-III/4/Exty./188/2026-27]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA